कार्यालय कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा)जिला बैतूल (म.प्र.)

कृमांक 67 अ– 82/17–18 भू– अर्जन /खल्ला/10432 बैतूल दिनांक 25/08/2018

ईश्तहार

म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल द्वारा जारी कय नीति के अन्तर्गत आवेदक विभाग कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा पाराखाती लघु जलाशय के लिए भूमि की आवश्यकता होने के कारण ग्राम खल्ला प. ह. न. 65 तहसील मुलताई जिला बैतूल के निम्नानुसार खसरा नम्बरो की भूमि आपसी सहमति के आधार पर कय करने के प्रस्ताव पेश किये गये है :–

स.क.	खसरा न.	रकबा हें. में	आवेदक विभाग द्वारा कय किये जाने वाला अर्जित रकबा हे. मे	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	286	1.036	0.506	नौखेलाल वल्द छतरू गोंड सा. देह भूमि
2	287/6	0.655	0.303	करेसा वल्द गनपत गोंड सा.देह भूमि स्वामी
3	316/1	0.303	0.151	मगनलाल वल्द सुखलाल कला सा. देह भूमि स्वामी
		1.994	**0.960**	

अत एव आवेदक विभाग द्वारा ग्राम **खल्ला** तहसील मुलताई की उपरोक्तानुसार खसरा नंबरों की कुल **0.960** हे. भूमि आपसी कय नीति के अन्तर्गत कय करने के सम्बन्ध में किसी भी पक्षकार या किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो ईश्तहार के प्रकाशन होने की तारीख से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति स्वंय या अपने अधिवक्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। नियत समयावधि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25-8-2018 **को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी ।**

(शशांक मिश्र)
कलेक्टर जिला बैतूल (म.प्र.)

बैतूल दिनांक 25–08–2018

पृ0क0 67 अ–82/वर्ष 17–18/खल्ला/10432

प्रतिलिपिः–

1– संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त ईश्तहार का प्रकाशन एक प्रदेश स्तर दैनिक एवं स्थानीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र में कर इस कार्यालय को समाचार पत्रों की प्रति0 भी भेजने का कष्ट करें।

2– कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई को सूचनार्थ अग्रेषित। ईश्तहार का प्रकाशन एक स्थानीय पेपर में कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भेजी जावे। साथ ही कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

3– प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www. betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।

4– प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु।

5– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।

6– तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति क्रय की जाने वाली भूमि के प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।

7– जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।

8– सरपंच/सचिव ग्राम खल्ला तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर ईश्तहार का उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।

कलेक्टर,
बैतूल